SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

Circular No. 15/2023-24

Dated:19/02/2024

CIRCULAR

Sub: Renewal of Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) – reg.
Ref. Circular of even number dated 30 APRIL 2022

In alignment with the trade directives issued by the Ministry of Commerce and Industry, Govt. Of India , the Spice Board has integrated into the DGFT for the issuance of CRES. All exporters are urged to submit their applications for renewal as well as fresh CRES through DGFT Portal.

The validity of the Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES), issued by the Board during the period 2021, will expire from 31st March 2024.

As you are aware, the Spices Board's Certificate of Registration is valid for three years from the date of issue. All exporters are requested to file their renewal applications before the expiry date of their registration certificates. According to the Spices Board regulations, those who have not filed their Quarterly Export Returns (QERs) in a timely manner will not be allowed for renewal.

As per the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989;

4(1). Any person desiring to renew the certificate as exporter shall apply through DGFT portal on or before the expiry of the validity of the existing certificate and payment of the fee shall be made through online payment Gateway. The applications received after the expiry of validity of the certificate, shall not be entertained for renewal and such exporters may apply for fresh registration.

4(3). If the exporter does not engage in any export business during the validity period of the certificate, they may submit a fresh application to the Board through the DGFT portal.

5(9). Every registered exporter shall submit quarterly returns regarding exports , purchases and imports of spices through Spices Board Portal and non-submission of quarterly returns shall be considered as violation of the regulation.

फोन / Phone : 0484 2333610-616, 2347965, 2348417, 2341776, फैक्स / Fax : 0484 2341935
इ-मेइल / Email : mail.sboard@gov.in वेबसाइट / Website : www.indianspices.com

3(7). If the application is for registration as a manufacturer exporter, the Board will grant the Certificate of Registration as Exporter (CRES) upon satisfaction with the facilities at the exporter's Spices Processing Plant or unit.

3(8) Every applicant for a certificate of registration as an exporter of spices is required to notify the Spices Board of each establishment or unit under their control that conducts any of the stages of warehousing, processing, value addition, etc., of spices for export.

Accordingly, all the Exporters are requested to submit the Renewal application through DGFT (www.dgft.gov.in) from **20th February 2024** onwards after successful submission of all the pending Quarterly Export Returns for the year 2021-22,2022-23, 2023-24 (upto 3rd Quarter)(www.indianspices.org.in).

The registration fee including GST (18%) are furninshed below. The fee can be remitted through the Payment Gateway System incorporated into the DGFT Portal, and the details of the fee structure are provided below:

EXPORTER CATEGORY	NEW (Rs.)	RENEWAL (Rs.)	AMENDMENT (Rs.)
Manufacturer	17,700/-	11800.00	5,900 /-
Merchant	11,800/-	8850.00	

All the exporters whose CRES are due for renewal may initiate action to submit their application before expiring validity of the CRES.

Detailed guidelines for filing eRCMC are available on the Spices Board website (www.indianspices.com).

DIRECTOR(MARKETING)

To

All Stakeholders / Regional Offices of the Spices Board

Hindi Version As Follows;

FILE No.MKT-REGN/0002/2017

SPICES BOARD
(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

परिपत्र सं. 15/2023-24

दिनांक 19/02/2024

परिपत्र

विषयः मसाला के निर्यातकों कं रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) का नवीनीकरण – बाबत।
संदर्भ. समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30 अप्रैल 2022

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी व्यापार निदेशों के अनुरूप, स्पाइसेस बोर्ड सीआरईएस को जारी करने के लिए डीजीएफटी के साथ एकीकरण हो गया है। सभी निर्यातकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नए सीआरईएस तथा नवीकरण के लिए डीडीएफफटी पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

वर्ष 2021 की अवधि के दौरान स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी मसालों के निर्यातकों के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) की वैधता 31 मार्च 2024 से समाप्त होगी।

जैसे कि आप जानते है, स्पाइसेस बोर्ड के पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी की गई तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध है। सभी निर्यातकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि से पहले अपने नवीनीकरण आवेदन फाइल करें। स्पाइसेस बोर्ड के विनियम के अनुसार, जिन लोगों ने समय पर अपना त्रैमासिक निर्यात विवरणी (क्यूईआर) फाइल नही की है, उन्हें नवीनीकरण की अनुमति नही दी जाएगी।

स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम 1989 के अनुसार

4(1) जो व्यक्ति निर्यातक के रूप में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करना चाहता है वे ऑनलाइन भुगतान गेट्वे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करके मौजूदा प्रमाणपत्र की वैधता की समाप्ति पर या उससे पहले डीजीएफटी के माध्यम से आवेदन दे सकता है। प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदनों पर नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी निर्यातक नए पंजीकरण के लिए आवेदन करें।

4(3) यदि निर्यातक प्रमाणपत्र की वैध अवधि के दौरान निर्यात कारोबार में कार्यरत नही होते है, तो वे डीजीएफटी पोर्टल के माध्यम से बोर्ड को एक नया आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

5(9) प्रत्येक पंजीकृत निर्यातक को स्पाइसेस बोर्ड पोर्टल के माध्यम से मसालों के आयात, निर्यात और खरीद संबंधी त्रिमासिक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी और त्रैमासिक विवरणी का गैर–प्रस्तुतीकरण विनियम का उल्लंखन माना जाएगा।

3(7) यदि आवेदन निर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए हैं, तो बोर्ड निर्यातक के मसाला प्रसंस्करण संयंत्र या इकाई में सुविधाओं से संतुष्ट होने पर निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) प्रदान करेगा।

3(8) मसाला के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येत आवेदकों को अपने नियंत्रण के अधीन प्रत्येक प्रतिष्ठान या इकाई के स्पाइसेस बोर्ड को सूचित करना आवश्यक है जो निर्यात के लिए मसालों के भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, आदि के किसी भी चरण का संचालन करता है।

फोन / Phone : 0484 2333610-616, 2347965, 2348417, 2341776, फैक्स / Fax : 0484 2341935
इ-मेइल / Email : mail.sboard@gov.in वेबसाइट / Website : www.indianspices.com

तदनुसार, सभी निर्यातकों से अनुरोध है कि वे वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 (तृतीय त्रैमासिक तक) केलिए सभी लंबित त्रैमासिक निर्यात विवरणी का सफलतापूर्ण प्रस्तुतीकरण के बाद 20 फरवरी 2024 से डीजीएफटी (**www.dgft.gov.in**) के माध्यम से नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करे ।

जीएसटी 18 सहित पंजीकरण शुल्क नीचे दिया गया है। शुल्क डीजीएफटी पोर्टल में संल्ग्न भुगतान गेट्वे प्रणाली के माध्यम से जमा कर सकते है, और शुल्क संरचना नीचे दिया गया है:

निर्यातक श्रेणी	**नया (रु.)**	**नवीनीकरण (रु.)**	**संशोधन (रु.)**
निर्माता	17,700/-	11800.00	5,900/-
व्यापारी	11,800/-	8850.00	

वे सभी निर्यातक जिनके सीआरईएस का नवीनीकरण लंबित है, वे सीआरईएस की वैधता समाप्त होने से पहले अपना आवेदन प्रस्तुत करने की कार्रवाई शुरु करे।

ई-आरसीएससी भरने के लिए विस्तृत दिनानिर्देश स्पाइसेस बोर्ड की वोबसाइट (www.indianspices.com) पर उपलब्ध है।

निदेशक (विपणन)

सेवा में,

स्पाइसेस बोर्ड के सभी हितधारी/प्रादेशिक कार्यालय

मिसिल सं.विपणन-प्रदेश/0002/2017